"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2005—श्रावण 7, शक 1927

भाग 4

विषय-सूची

भाग 4 (क) — कुछ नहीं

भाग 4 (ख)

छत्तीसगढ़ अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2005

शुद्धिपत्र

क्रमांक-5780/21-अ/प्रा./छ.ग./05.—छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 20 मई, 2005 में प्रकाशित किये गये छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 6 सन् 2005) में नीचे दिये गये संशोधन क्र. 3 में "परंतु लघु उद्योगों को पांच एकड़ से अनधिक भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुनर्निर्धारण से छूट होगी" के वाक्यांश के स्थान पर निम्नलिखित वाक्यांश "परंतु लघु उद्योगों को पांच एकड़ से अनधिक भूमि व्यपवर्तित किये जाने पर पुनर्निर्धारण से पचास प्रतिशत छूट होगी" पढ़ा जावे.

तदानुसार ही अंग्रेजी प्रारूप में संशोधन क्रमांक 3 में

"Provided that the small industries shall be exempted from the re-assessment of the land diverted not-exceeding five acre" के स्थान पर "Provided that the small industries shall be exempted fifty percent from the re-assessment of the land diverted not exceeding five acre" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

भाग 4 (ग) — कुछ नहीं

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.